पटवारी से भूअनि परीक्षा हेतु नये पाठयक्रम के अनुसार सरल बिन्दूवार नोटस उर्फ गिरदावर चालिसा

संकलन कर्ता:-

महेश चन्द्र कौशिक टीआरए

प्रिय पटवारी साथियो,

मैने आपके लिये अथक परिश्रम करके राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व संबधित नियमों यथा *राजस्थान भू राजस्व संग्रह स्थल हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 स्कूल कालेजों चिकित्सालयों धर्मशालाओं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970* राजस्थान भू राजस्व तालाब तले हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 राजस्थान भू राजस्व सरचार्ज नियम 1960 राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरल बिन्दूवार नोटस तैयार किये हैं जो कम समय में ही आपको सभी महत्वपूर्ण बिन्दूओं की तैयारी करवा देगें।

इनको पढने का तरीका क्या है?

साथियो हमारे दिमाग में दो प्रकार की मेमोरी होती है एक स्थायी मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी किसी भी सूचना को हमारा दिमाग पहले अस्थायी मेमोरी में ही डालता है जो कुछ घंटो से लेकर एक दो दिन ही याद रहती है परन्तु वही सूचना बार बार काम में आती है तो दिमाग उसे स्थायी मेमोरी में डाल देता है।

मेने इस विषय में शोध की है कि किसी भी सूचना को ध्यान से चालिस बार पढ लिया जावे तो वो सूचना बगैर किसी परिश्रम के कम से कम एक वर्ष के लिये स्थायी मेमोरी में चली जाती है।

यही कारण है कि बार बार पढने पर हनुमान चालिसा अपने आप याद हो जाता है।

अत: ***इन नोटस को ध्यान से चालिस बार पढने पर ये आपके अपने आप याद हो जावेगें।*** इसलिये इनका नाम गिरदावर चालिसा रखा है। इन नोटसों को याद करके आप भूअनि में चयनित हो जाते हैं तो में अपनी मेहनत का पारितोषिक वसूल हुआ समझुगां।

महेश चन्द्र कौशिक टीआरए

भाग:- I

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

1. कलेक्टर भूमि अभिलेख अधिकारी होता है।
2. किसी नगरपालिका गांव कस्बे की आबादी सीमा के भीतर ऐसी आबादी भूमि जो राज्य सरकार में निहित हो नजूल भूमि कहलाती है।
3. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 20 क या 3 क के तहत नियुक्त अधिकारी राजस्व अपील अधिकारी कहलाता है।
4. राजस्व विभाग के बन्दोबस्त से संबधित एंव न्यायिक मामलो का नियंत्रण राजस्व बोर्ड में निहित है। तथा गैर न्यायिक व बन्दोबस्त से असंबधित मामलों का नियत्रंण राज्य सरकार में निहित है।
5. भू आवंटन का कार्य न्यायिक कार्य नहीं है।परन्तु जब आवंटन में पक्षकारों के अधिकार व जिम्मेदारियों का सवाल हो तो उसे न्यायिक मामला माना जाता है। भू आवंटन की अपील राज्य सरकार को हो सकती है।
6. नामान्तरकरण न्यायिक कार्य नहीं है तथा अधिकारों का अतिंम निर्णायक नहीं है अधिकारों का अतिंम निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय से ही किया जा सकता है।
7. रास्तों का विवाद न्यायिक मामला है जिसकी अपील राजस्व मंडल में हो सकती है।
8. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 23 राजस्व न्यायालयों की नियत्रंण शक्तियों से संबधित है।
9. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 24 राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता से संबधित है।
10. राजस्व अपील अधिकारी को कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर तहसीलदार व नायब तहसीलदार की समस्त शक्तियां होती है।
11. रीडर या वरिष्ठतम लिपिक राजस्व अधिकारी की अनुपस्थिति में मामले को स्थगीत करने में सक्षम है।

12. धारा 88 लावारिस सम्पतियों को राज्य सरकार की सम्पति घोषित करने से संबधित है इस धारा में जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय का राजस्व मंडल में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है।
13. कोई व्यक्ति बिना किसी विधिसंगत अधिकार के खान से खनिज प्रदार्थ निकालता है तो उस पर पचास रूपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना जिला कलेक्टर द्वारा धारा 89 (7) में आरोपित किया जा सकता है परन्तु ये जुर्माना 1000 रूपये से कम होने पर इसे 1000 रूपये तक बढाया जा सकता है।
14. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण (शहरी व ग्रामीण दोनो) से संबधित है।
15. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 भूमि के अनाधिकृत उपभोग से संबधित है।
16. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत भूमि के अनाधिकृत उपभोग पर लगान का 50 गुणा तक जुमार्ना किया जाता है तथा अतिक्रमण पश्चातवर्ति होने पर 91(6)क के तहत कम से कम एक मास या 3 वर्ष तक सिविल कारावास व 20000 रूपये तक जुमार्ना किया जा सकता है।परन्तु धारा 91(6)क के तहत कारित अपराध का अन्वेषण डी.एस.पी. से कम स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता।
17. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत भूमि के अनाधिकृत उपभोग पर नोटिस जारी किया जाता है।
18. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) ख के तहत अतिक्रमण रोकने में जानबुझकर उपेक्षा करने वाले कर्मचारी के विरूद्व कलेक्टर की अनुमति से एक मास का कारावास या एक हजार रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
19. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत चारागाह के लिये भूमि का आरक्षण किया जा सकता है।
20. बिना अनुमति वन उपज हटाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 के तहत प्रतिदिन 50 रूपये (1000 रूपये तक) जुर्माना किया जा सकता है।
घर का कुड़ा करकट डालने चारा एकत्रित करने व पशुओं को बांधने के लिये बाड़ा आवंटन भू राजस्व अधिनियम की धारा 98 के तहत किया जाता है।इसके लिये राजस्थान भू राजस्व संग्रह स्थल हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 बने हुये हैं।

21. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन भू राजस्व अधिनियम की धारा 101 के तहत बने हुये 1970 के आवंटन नियमों के अधीन किया जाता है।
22. *भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 में भूमि का व्यापक अर्थ दिया गया है जिसके अनुसार भूमि राजास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 24 में परिभाषित भूमि के अलावा राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के तहत अवाप्त भूमि भी भूमि में शामिल है।*
23. भू अभिलेख अधिकारी काश्तकारों को 15 दिवस के भीतर सीमा चिन्हों का निमार्ण करवाने का आदेश देने वाली उदघोषणा जारी कर सकता है।
24. सीमा सबंधी विवाद नक्शे व कब्जे के आधार पर निपटाये जाते हैं।
25. खेवट, खतौनी रजिस्टर हकदारान पासबुक जमाबदी सभी अधिकार अभिलेख के भाग हैं।
26. अधिकार अभिलेख की प्रविष्टीयों से संबधित सभी विवाद भू राजस्व अधिनियम की धारा 123 124 व 125 के तहत निपटाये जावेगें।
27. सीमा संबधि विवाद भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 के तहत निपटाये जाते हैं।
28. सीमा चिन्हों को हटाने या क्षतिग्रस्त करने पर कम से कम पचास रूपये जुमार्ना है अधिक वास्तविक व्यय तक हो सकता है।
29. भू राजस्व अधिनियम की धारा 114 से 120 तक बनाये गये रजिस्टरों का सैट वार्षिक रजिस्टर कहलाता है।वार्षिक रजिस्टर रखे जाने का प्रावधान धारा 132 में है।
30. भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 के तहत कब्जे के अतंरण और उतराधिकार संबधि रिर्पोट तीन माह में तहसीलदार को सीधे या पटवारी ओर भूअनि के माध्यम से देनी आवश्यक है।अन्यथा धारा 134 में दस रूपये जुमार्ना लगाया जावेगा।
31. खसरा गिरदावरी वार्षिक अभिलेख नहीं है।
32. बन्दोबस्त की अधिसूचना भू राजस्व अधिनियम की धारा 142(1) में जारी की जाती है।
33. बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति भू राजस्व अधिनियम की धारा 145 के तहत की जाती है।
34. आर्थिक सर्वेक्षण भू राजस्व अधिनियम की धारा 148 के तहत कराया जाता है।
35. भू राजस्व अधिनियम की धारा 148 के तहत बन्दोबस्त कार्य बन्द करने की अधिसूचना जारी की जाती है।
36. बन्दोबस्त में लगान दरों का आधार पूर्व के 20 वर्षो के लगान व उत्पादन होगा।

37. बन्दोबस्त की अवधि 20 वर्ष होती है। परन्तु राज्य सरकार बीच में भी बन्द कर सकती है।
38. बीघा से एक एकड़ का 5/8 वां क्षेत्र अभिप्रेत है।
39. यदि बन्दोबस्त में दर्ज असिंचित क्षेत्र बाद में सिचिंत हो जावे तो 1.50 रूपये प्रति बीघा से वर्धित लगान कायम होता है परन्तु परियोजना क्षेत्रों में वर्धित लगान क्षेत्र की न्यूनतम नहरी दर से लिया जावेगा।
40. बन्दोबस्त बंद होने पर समस्त लम्बित कार्यवाहियां भू राजस्व अधिनियम की धारा 181 के तहत कलेक्टर को अतंरित कर दी जाती है। कलेक्टर को इसमें बन्दोबस्त अधिकारी की पूर्ण शक्तियां होगी।
41. भू राजस्व अधिनियम की धारा 224 के तहत भू राजस्व भूमि पर प्रथम प्रभार होता है।
42. भू राजस्व की बकाया वसूली के लिये नोटिस धारा 229 में जारी किया जाता है।
43. कलेक्टर भू राजस्व अधिनियम की धारा 229 क के तहत बकाया वसूली के लिये तीन वर्ष तक की किश्तें मंजूर कर सकता है।
44. चल सम्पति की कुर्की तथा विक्रय भू राजस्व अधिनियम की धारा 230 में किया जाता है । चल संपति को जंगम सम्पति भी कहते हैं।
45. व्यक्तिक्रमी के अशं का अन्तरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 234(1) के तहत 1 जुलाई से बकाया चुकता होने की अवधि तक किया जा सकता है।
46. भू राजस्व अधिनियम की धारा 236 के तहत भूमि समस्त भारों से मुक्त विक्रय की जावेगी।
47. विक्रय की उदघोषणा भू राजस्व अधिनियम की धारा 238(1) के तहत जारी की जाती है।
48. अचल सम्पति का विक्रय करने में तहसीलदार के स्तर से नीचे का अधिकारी यथा नायब तहसीलदार या भू अ नि सक्षम नहीं है।
49. विक्रय रविवार या अवकाश के दिन नहीं किया जा सकता।तथा उदघोषणा जारी होने के 30 दिन से पूर्व नहीं किया जा सकता।
50. विक्रय उसकी तारिख के 30 दिन के भीतर कलेक्टर द्वारा अपास्त किया जा सकता है। बशर्ते कि क्रेता को चुकाने के लिये पांच प्रतिशत राशि विक्रय का खर्चा व सम्पूर्ण बकाया की अदायगी कर दी जावे।

51. अनियमितता के आधार पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन भू राजस्व अधिनियम की धारा 247 के तहत किया जाता है।
52. विक्रय की पुष्टि या उसे अपास्त करने का आदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 248 के तहत किया जा सकता है।
53. क्रेता को क्रय का प्रमाण पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 251 के तहत कलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है।
54. भू राजस्व की बकाया की तरह वसूल की जा सकने वाली राशियों के प्रावधान भू राजस्व अधिनियम की धारा 256 में है तथा धारा 257 के तहत जमानत राशियों की वसूली की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत वसूली हेतु आवेदन भू राजस्व अधिनियम की धारा 257 क में दिया जाता है।
55. भू राजस्व अधिनियम की धारा 259 के तहत वसूली संबधि कार्यवाही पर सिविल न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता।
56. भू राजस्व अधिनियम की धारा 262 के तहत पटवारी गिरदावर कानूनगो सदर कानूनगो आदि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोकसेवक समझे जावेगें।

<u>राजस्थान भू राजस्व संग्रह स्थल हेतु भूमि आवंटन नियम 1961</u>

1. सग्रंह स्थल हेतु भूमि आवंटन ऐसे शहर जंहा एक करोड़ से अधिक की लागत का उधोग लगाना प्रस्तावित है के 5 मील के घेरे में नहीं किया जा सकता है।
2. सग्रंह स्थल हेतु भूमि आवंटन नगरपालिका अधिनियम 1959 में परिभाषित शहरी क्षेत्रों के 6 मील के घेरे में नहीं किया जा सकता है।
3. सग्रंह स्थल हेतु भूमि आवंटन नगरपालिकाओं के 3 मील के घेरे में नहीं किया जा सकता है।
4. सग्रंह स्थल हेतु भूमि आवंटन जयपुर शहर या ऐसे शहर जंहा मास्टर प्लान प्रस्तावित है के 10 मील के घेरे में नहीं किया जा सकता है।
5. सग्रंह स्थल हेतु भूमि आवंटन रेलवे सीमा या राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 गज दूरी में नहीं किया जा सकता है।
6. सग्रंह स्थल हेतु भूमि आवंटन का अधिकतम क्षेत्र 500 वर्ग गज का है।
7. सग्रंह स्थल हेतु भूमि आवंटन भू राजस्व अधिनियम की धारा 98 के तहत किया जाता है।

स्कूल कालेजों चिकित्सालयों धर्मशालाओं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम

1. इन नियमों के तहत आवंटन भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 के तहत किया जाता है।
2. इन नियमों के तहत किसी भी स्त्रोत से सिंचित जोहड़, लोकपथ ,ओरन ,पैलान , चारागाह तालाब पेटे आदि की भूमि का आवंटन नहीं किया जाता है।
3. प्राथमिक विधालय या राजीव गांधी पाठशाला व किसी भी सरकारी कार्यालय के लिये अधिकतम 2 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाता है।
4. मीडल स्कूल व प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों (इन्डोस सुविधा सहित) के लिये अधिकतम 4 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाता है।
5. माध्यमिक उच्च माध्यमिक विधालय बीएसटीसी विधालयों के लिये अधिकतम 10 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाता है।
6. डिग्री एंव स्नातकोतर महाविधालय व नवोदय विधालय हेतु 15 एकड़ तक आवंटन किया जाता है।विश्वविधालयों के लिये 30 एकड़ तक आवंटन किया जाता है।
7. केन्द्रीय विधालय संगठन के स्कूलों हेतु 15 एकड़ तक आवंटन किया जाता है।
8. औषधालय (बिना इन्डोर सुविधा के)आयुवेर्दिक औषधालय पशु चिकित्सा केन्द्र के लिये 1.5 एकड़ तक आवंटन किया जाता है।
9. पंचायत घर व लोकोपयोगी भवनों के लिये 1 एकड़ तक आवंटन किया जाता है।
10. पटवार घर गिरदावर घर मन्दिर मस्जिद गुरूद्वारे के लिये 0.5 एकड़ तक आवंटन किया जाता है।
11. इन नियमों के तहत आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होता है।
12. इन नियमों के तहत प्रिमियम डीएलसी के समान होगा।
13. विकंलाग को शैक्षणिक संस्था हेतु आवंटन करने या ग्रामीण क्षेत्रों में 10000 वर्ग मीटर तक चिकित्सा सुविधा के आवंटन में प्रिमियम डीएलसी का 50 प्रतिशत होगा।
14. इन नियमों के तहत आवंटन के तीन वर्ष के भीतर भीतर निमार्ण करना अनिवार्य होगा।
15. महिलाओं के उत्थान के लिये बनी संस्थाओं को निशुल्क आवंटन होगा।

16. अनुसूचित जातियों के सामुदायिक केन्द्र विधालयों होस्टल हेतु 5 एकड़ तक निशुल्क आवंटन का प्रावधान है।
17. अनुसूचित जन जातियों के सामुदायिक केन्द्र विधालयों होस्टल हेतु 16 एकड़ तक निशुल्क आवंटन का प्रावधान है।
18. ओबीसी ओर अल्पसंख्यकों के सामुदायिक केन्द्र विधालयों होस्टल हेतु 2 एकड़ तक निशुल्क आवंटन का प्रावधान है।
19. कलेक्टर 1000 वर्ग गज तक अनाथआलयों वृद्वाश्रमों पेशाबघरों शौचालयों सार्वजनिक प्याउ नशा मुक्ति केन्द्रों प्रेस कलब रेने बसैरों पुस्तकालयों के लिये निशुल्क आवंटन कर सकता है।

सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978

1. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत पेरीफेरी क्षेत्र नगरपालिका की सीमा के आधे मील की दूरी के अन्दर के क्षेत्र को माना जाता है।?
2. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 261(2) के तहत बनाये गये हैं।
3. पांच किग्रा से अधिक विस्फोटक रखने के लिये विशेष रूप से डीजाईन किया गया भवन मैगजीन कहलाता है।
4. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत रेलवे की सरहद व राष्ट्रीय राजमार्गो के 120 फीट के अन्दर भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता।
5. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत स्थानीय सड़क के 10 फीट के अन्दर भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता।
6. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत भाखड़ा व इ0गा0न0प0 मण्डी क्षेत्रों के 5 किमी के अर्धव्यास में भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता जब तक की मण्डी समिति की लिखित अनुमति न ले ली गयी हो।

7. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के नियम 5 के तहत पपत्र क में आवंटन हेतु आवेदन किया जाता है जिनको पपत्र ख में बने हुये रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।
8. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत पेरीफेरी क्षेत्रों की दरें निकटवर्ती नगरों की दरों की आधी होगी।
9. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत सिनेमाघरों के लिये 4000 वर्गगज भूमि के लिए दरें वर्ग 1 वर्ग 2 व वर्ग 3 के शहरों के लिये क्रमश: 2500 1250 व 600 रूपये प्रतिमाह होती है।
10. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत पैट्रोल पम्प व विस्फोटक मैगजीन के लिये 1200 वर्ग गज भूमि की दरें वर्ग 1 वर्ग 2 व वर्ग 3 के शहरों के लिये क्रमश: 500 300 व 200 रूपये प्रतिमाह होती है।
11. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत राजकीय भूमि का आवंटन किया जाता है तो लीज रेन्ट के अलावा भूमि का मूल्य भी लिया जाता है।
12. सिनेमा पैट्रोल पम्प चिकित्सा सुविधा विस्फोटक मैगजीन हेतु भूमि आवंटन नियम 1978 के तहत 20 वर्ष के लिये भूमि का आवंटन किया जाता है तथा नवीनीकरण पर लीजदरें 50 प्रतिशत बढायी जाती है।

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

1. ये नियम भी भू राजस्व अधिनियम की धारा 101 के तहत बनाये गये हैं। भू राजस्व अधिनियम के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां धारा 261 (2) के तहत दी गयी है।
2. सरकारी एंव निजि कर्मचारी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते।
3. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत छोटी पटटी से तात्पर्य राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 24 ई में यथा परिभाषित क्षेत्र का पांचवा हिस्सा या एक एकड़ असिंचिति भूमि या आधा एकड़ सिंचित भूमि है।
4. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत रेलवे सीमा के 100 गज राष्ट्रीय राजमार्ग के 50 गज में भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता।

5. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत पांच लाख की आबादी वाली नगरपालिका में तीन मील तक दो लाख की आबादी वाली नगरपालिका में दो मील तक एक लाख की आबादी वाली नगरपालिका में एक मील तक भूमि आवंटन नहीं किा जा सकता।
6. तहसीलदार प्रतिवर्ष 30 सितम्बर को आवंटन योग्य सरकारी भूमियों की सूची तैयार करेगा।
7. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के तहत 15 दिवस में आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने की उदघोषणा जारी की जाती है।
8. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदन प्रारूप 3 में किया जाता है।
9. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत पति पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि आवंटन किया जाता है।
10. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु प्राथमिकता का क्रम है युद्ध में मारे गये सैनिक के आश्रित या निर्योग्य सैनिक उसके बाद एकीकृत ग्रामीण योजना से लाभान्वित व्यक्ति (बीपीएल) उसके बाद बधुआ मजदूर या सागड़ी उसके बाद अजा अजजा उसके बाद बेरोजगार कृषि स्नातक।
11. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि जोतना अनिवार्य है।तहसीलदार इसमें छुट दे सकता है।
12. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 80 व 81 में विहित कुओं व पेड़ों का मूल्य भी आंवटी से वसूल किया जाता है जयपुर के 10 मील की परिधी में यह मूल्य 15.25 रूपये प्रति बीघा होगा।
13. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन आदेश पपत्र 5 में जारी किया जाता है।
14. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत पंचायत समितियों को 50 एकड़ तक भूमि आवंटन व पंचायतों को 10 एकड़ तक भूमि आवंटन किया जा सकता है।
15. आवंटन सलाहाकार समिति में विकास अधिकारी प्रधान विधायक सरंपच तहसीलदार व एक एससी एटी का सदस्य होता है।उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहाकार समिति का सदस्य नहीं होता है।

16. 1970 के नियमों के तहत आवंटन में पहले 10 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार देने की समय सीमा थी परन्तु वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं है यदि समस्त किश्तें जमा हो गयी होतो।

राजस्थान भू राजस्व तालाब तले हेतु भूमि आवंटन नियम 1961

1. तालाब तल हेतु भूमि आवंटन के लिये नियम 3 के तहत उपखण्ड अधिकारी भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 61 के तहत अधिसूचना जारी करता है।
2. आवेदन उदघोषणा जारी होने के 7 दिवस में पेश करने होते हैं।
3. तालाब तले हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 के तहत जिसने पूर्व के वर्षो में भूमि को जोता था उसको सर्वाच्च प्राथमिकता दी जाती है उसके बाद भूमिहीन को उसके पश्चात विखण्ड धारि को तथा उसके बाद एस सी एस टी को प्राथमिकता दी जाती है तथा अन्य बातें समान होने पर गांव के निवासी को प्राथमिकता देने का भी ध्यान रखा जाता है।
4. नदी पेटा तालाब तल हेतु भूमि आवंटन पांच वर्ष के लिये किया जाता है।
5. भूमि पानी में डूबी रहने पर देय लगान का 25 प्रतिशत वसूल किया जावेगा।
6. तालाब तले हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 के तहत आवंटन उपखण्ड अधिकारी करता है अपील कलेक्टर को होती है।

राजस्थान भू राजस्व सरचार्ज नियम 1960

1. राजस्थान भू राजस्व सरचार्ज नियम 1960 भू राजस्व सरचार्ज अधिनियम 1960 (सिर्फ धारा के नाम से भी जाना जाता है।) की धारा 6 के तहत बने हैं ।
2. सरचार्ज निर्धारण के लिए तहसीलदार उतरदायी है।
3. सरचार्ज की गणना नियम 3 के प्रावधानों के तहत की जाती है।
4. सरचार्ज का अंकन ढालबांछ के कालम 8 व 9 में किया जाता है।संग्रहित सरचार्ज ढालबांछ के कालम 18 में आता है।
5. सरचार्ज का अंकन मांग पर्ची के कालम 5 में किया जाता है।
6. संग्रहित सरचार्ज सियाहा (पी 32) के कालम 9 व 10 में किया जाता है।
7. सरचार्ज की बकाया ढालबांछ के कालम 23 में दिखायी जावेगी।

राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007

1. राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत बने हुए हैं।
2. औधोगिक क्षेत्रों में कर्मचारियों के कर्वाटर व औधोगिक परिसर में बनी दुकान बैंक आदि भी औधोगिक प्रयोजन में शामिल समझे जावेगें।
3. राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधान के अनुसार दूरी छोड़नी अनिवार्य है जो वर्तमान में सड़क के केन्द्र बिन्दू से 75 मीटर है।
4. रेलवे सीमा से नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है परन्तु नगर नियोजन विभाग के अनुसार रेलवे लाईन के दोनो तरफ 16-16 मीटर या मौके पर रेलवे बाउन्ड्री या उनके रेकार्ड के अनुसार जो भी अधिक हो या कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 में रेलवे सीमा से 100 गज छोड़ने का प्रावधान है उसको ही लेते हैं।(परीक्षा में 100 गज का विकल्प हो तो उसे ही सही मानना है)
5. ईट भटटे या औधोगिक प्रयोजनार्थ आबादी के 1.5 किमी तक संपरिवर्तन नहीं किया जाता है।
6. भूमिगत पाईप लाइनों के 10 मीटर के अर्द्धव्यास या तेल भण्डारण टेकों के 50 मीटर के अर्द्ध व्यास में रूपान्तरण नहीं किया जाता है।
7. रक्षा आयुध डिपो की 1.5 कीमी की परिधी में रूपान्तरण वर्जित है।
8. खातेदार 500 वर्ग मीटर तक रूपान्तरण आवास गृह पशुशाला या भण्डार गृह के लिये करवा सकता है।
9. 2500 वर्ग मीटर तक कजावा या लघु उधोग की स्थापना के लिये संपरिवर्तन करवाने की आवश्यकता नहीं है।
10. संपरिवर्तन प्रभार राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 7 में वसूल किये जाते हैं।
11. आवासीय ईकाई हेतु 5 रूपये प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का पांच प्रतिशत या कृषि भूमि की सैल डीड मे जो मार्केट दर हो उसका पांच प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।

12. आवासीय कालोनी हेतु 7.5 रूपये प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 7.5 प्रतिशत या कृषि भूमि की सैल डीड मे जो मार्केट दर हो उसका 7.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।
13. औधोगिक प्रयोजन हेतु 5 रूपये प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का पांच प्रतिशत या कृषि भूमि की सैल डीड मे जो मार्केट दर हो उसका पांच प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।
14. वाणिज्यिक प्रयोजन व चिकित्सा सुविधा हेतु 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 10 प्रतिशत या कृषि भूमि की सैल डीड मे जो मार्केट दर हो उसका 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।
15. नमक निमार्ण ईकाई हेतु 0.5 रूपये प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 0.5 प्रतिशत या कृषि भूमि की सैल डीड मे जो मार्केट दर हो उसका 0.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।
16. संस्था हेतु 5 रूपये प्रति वर्ग मीटर या ***डीएलसी का 10 प्रतिशत*** जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।
17. विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु 7.5 रूपये प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का 7.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।
18. लोकोपयोगी हेतु 10000 वर्गमीटर तक बिना प्रिमियम के उसके बाद 5 रूपये प्रति वर्ग मीटर या डीएलसी का पांच प्रतिशत या कृषि भूमि की सैल डीड मे जो मार्केट दर हो उसका पांच प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है।
19. 31 मार्च 2013 तक बजट होटल तीन स्टार तक की स्थापना के लिये कोई प्रिमियम देय नहीं होगा।
20. रूपान्तरण आदेश जारी करने हेतु 30 दिवस की समय सीमा तय है।
21. तहसीलदार को आवासीय ईकाई हेतु 2500 वर्ग मीटर व उपखण्ड अधिकारी को 5000 वर्गमीटर तक शक्तियां नियम 9 के तहत है।
22. कलेक्टर को आवासीय कालोनी हेतु 50000 वर्ग मीटर व राज्य सरकार इससे उपर की शक्तियां नियम 9 के तहत है।
23. एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो विपणन अर्थात कृषि आधारित उधोगों हेतु रूपान्तरण शुल्क नियम 7 में औधोगिक प्रयोजनार्थ देय शुल्क का आधा होगा।

24. एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो विपणन अर्थात कृषि आधारित उधोगों हेतु उपखण्ड अधिकारी को 10 हैक्टेर तक व कलेक्टर को 10 हैक्टेर से उपर की शक्तियां नियम 9 के तहत है।
25. उपखण्ड अधिकारी को वाणिज्कि प्रयोजन हेतु 500 वर्ग मीटर तक शक्तियां है परन्तु वो होटल रिर्सोट पैट्रोल पम्प सिनेमा विस्फोटक मैगजीन मल्टीप्लेक्स हेतु रूपान्तरण नहीं कर सकता।
26. कलेक्टर को होटल रिर्सोट पैट्रोल पम्प सिनेमा विस्फोटक मैगजीन मल्टीप्लेक्स सहित 5000 वर्गमीटर तक वाणिज्कि रूपान्तरण की शक्तियां है।उससे उपर राज्य सरकार को है।
27. औधोगिक क्षेत्र में एसडीएम को 1 हैक्टेर तक रूपान्तरण शक्तियां है जिला कलेक्टर को 10 हैक्टेर तक तक शक्तियां है परन्तु उपखण्ड अधिकारी व कलेक्टर दोनो को ही पर्यटन ईकाई की शक्तियां नहीं है पर्यटन ईकाई व 10 हैक्टेर से उपर औधोगिक रूपान्तरण की राज्य सरकार को शक्तियां है।
28. नमक निमार्ण ईकाई हेतु उपखण्ड अधिकारी को 20 हैक्टेर तक रूपान्तरण शक्तियां है उसके उपर जिला कलेक्टर को है।
29. रूपान्तरण नियम 2007 के नियम 10 में रूपान्तरण का प्रयोजन परिवर्तित कराया जा सकता है।
30. रूपान्तरण नियम 2007 के नियम 13 में बिना रूपान्तण करवाये निमार्ण कर लेने पर रूपान्तरण शुल्क के अलावा शुल्क का चार गुणा शास्ति ली जाती है।
31. नियम 11 के तहत रूपान्तरण शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करवाने पर रूपान्तरित भूमि का अन्य के नाम हस्तांतरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता है।
32. नियम 14 के तहत रूपान्तरित भूमि का 5 वर्ष में उपभोग करना आवश्यक है।

भाग:-।।

पटवारी से भूअनि परीक्षा लैण्ड रेकार्ड रूल्स नोटस

1. पटवार हल्को के निर्धारण में खसरा नम्बर, खतौनी कुल रकबा, काश्त का रकबा, भू-राजस्व एवं गांवो की संख्या ध्यान में रखी जाती है।
2. आमतौर पर एक पटवार मण्डल में लगभग 3000 खसरा नम्बर व लगभग 8000 रूपये लगान होता है एवं कुल भूमि लगभग 7500 एकड़ व काबिल काश्त भूमि लगभग 2500 एकड़ रखी जाती है।
3. पटवारी को ऐसे हल्के में नही रखा जाता जहां उसकी या उसके नजदीकी रिश्तेदार की खुदकाश्त भूमि हो।
4. पटवारियों के आकस्मिक अवकाश भू-अभिलेख निरीक्षक स्वीकार कर सकता है परन्तु इसकी रिपोर्ट तुरन्त तहसीलदार को देनी आवश्यक है।
5. पटवारी को मुख्यालय के तीन मील के अर्द्धव्यास में निवास करने की अनुमति दी जा सकती है।
6. पटवारियों द्वारा तहसील मुख्यालय पर उपस्थित होने के दिन नजूल या सरकारी भूमि अतिक्रमण, सिंचाई कार्य में रूकावट, काश्तकारों के पलायन या बाहर से आगमन, हरे वृक्षो को हटाये जाने की सूचना पेश करना अनिवार्य है।
7. अभिलेखों का निरीक्षण एवं पेन्सिल से उतारने की कोई फीस नही है।
8. जमाबन्दी को पी-26 के नाम से भी जाना जाता है। जमाबन्दी (पी-26) के 10 खसरा नम्बर तक की नकल के लिये 10 रूपये शुल्क है इसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 10 खसरा नम्बर के लिये 5 रूपये शुल्क है।
9. खसरा गिरदावरी को पी-13 के नाम से भी जाना जाता है। खसरा परिवर्तनशील को पी-14 के नाम से जाना जाता है इसके प्रत्येक 10 खसरा नम्बर या उसके भाग के लिये 10 रूपये शुल्क है।
10. कृपया ध्यान रखें 16 खसरो की जमाबन्दी के लिये प्रतिलिपि शुल्क 10+5=15 रूपये है परन्तु 16 खसरो की खसरा गिरदावरी (पी-13) के लिये शुल्क 10+10=20 रूपये होता है।
11. नक्शा ट्रेस के प्रत्येक 10 खसरा नम्बर या उसके भाग के लिये 20 रूपये शुल्क है।
12. नामान्तरकरण को पी-21 के नाम से जानते है इसलिए शुल्क 20 रूपये प्रति परत है।
13. ढालबांछ (पी-30) सियाहा (पी-32) जमाबन्दी परिवर्तनशील (पी-25) के प्रत्येक 10 खसरा नम्बर या उसके भाग के लिये 10 रूपये शुल्क है।
14. दैनिक डायरी (पी-2) रसीद (पी-33) अर्ज इरसाल (पी-34) के प्रत्येक प्रारूप के लिये 20 रूपये शुल्क है।

15. सभी प्रकार की नकले 3 दिन में देना अनिवार्य है।
16. नकल फीस का 50 प्रतिशत हिस्सा राजकोष में जमा होता हे।
17. सीमाज्ञान के लिये शुल्क 5 एकड़ तक 50 रूपये 5 से 10 एकड़ तक 100 रूपये व 10 एकड़ से ऊपर 200 रूपये होता है। इसका 10 प्रतिशत पटवारी या भू-अभिलेख निरीक्षक को पारिश्रमिक में देय होता है।
18. लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 28 में नकल फीस सम्बन्धी प्रावधान है।
19. सर्वेक्षण एवं सीमाज्ञान सम्बन्धी प्रावधान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 34 में है।
20. लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 45 के तहत पटवारी को जनगणना व चुनाव कार्यो में लगाया जा सकता है।
21. लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 46क के तहत पटवारी को कृषि गणना सम्बन्धी कार्य दिया गया है।
22. खसरा परिवर्तनशील (पी-14) प्रत्येक साल एक अक्टूबर तक ऑफीस कानूनगो को प्रस्तुत किया जावेगा।
23. मांग पर्ची प्रारूप पी-31 में जारी की जाती है।
24. नकल फीस रजिस्टर पी-35 के नाम से जाना जाता है।
25. दिनचर्या बही (पी-2) एक अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर तक चलती है तथा 31 अक्टूबर तक कानूनगो शाखा में जमा करवानी होती है।
26. खरीफ गिरदावरी या सियालू गिरदावरी 16 सितम्बर से प्रारम्भ होकर 15 अक्टूबर को समाप्त होती है इसका जिन्सवार 20 अक्टूम्बर तक तैयार किया जाता है।
27. रबी गिरदावरी या उन्हालू गिरदावरी 1 फरवरी से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी तक चलती है जिन्सवार 5 मार्च तक तैयार किया जाता है।
28. जायद (विशेष उन्हालू) गिरदावरी 1 मई से 15 मई तक चलती है।
29. कलक्टर 15 दिन पूर्व या 15 दिन देरी से गिरदावरी करने की विशेष अनुमति दे सकता है।
30. लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 का नियम 58 गिरदावरी से सम्बन्धित है।
31. गिरदावरी के समय नक्शे में की गयी दुरूस्ती की जांच भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा 30 अप्रेल तक की जाती है।
32. लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 61 के तहत तितम्भा शजरा तैयार किया जाता है जो परिवर्तनशील सीमाओं वाले खेतो का नक्शा होता है।
33. खसरा गिरदावरी का प्रपत्र पी-13 होता है। इसे खसरा चौसाला भी कहते है।
34. खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख या वार्षिक अभिलेख नही है।
35. खसरे के प्रत्येक पृष्ठ पर किये जाने वाले इन्द्राजो की संख्या सामान्यत: 10 रखी जाती है।
36. गिरदावरी का खाना नं0 1 खेत की संख्या व नाम से सम्बन्धित है।
37. गिरदावरी का खाना नं0 2 क्षैत्रफल से सम्बन्धित है।

38. गिरदावरी में रकबा स्टेन्डर्ड बीघो या एकड़ में लिखा जाता है।
39. गिरदावरी का खाना नं0 3 भूमि की किस्म से सम्बन्धित है।
40. गिरदावरी का खाना नं0 4 खेवट खतौनी से सम्बन्धित है।
41. खसरा नम्बर 153/1 में 153 अंश (न्यूमरेटर) व 1 हर (डेनोमिनटेर) कहलाता है।
42. गिरदावरी के खाना नं0 5 में काश्तकार का नाम पिता का नाम व जाति का उल्लेख किया जाता है व 6 में उप काश्तकार से संबधित विवरण अकिंत किया जाता है।
43. गिरदावरी का खाना नं0 7 सिंचाई के साधन व विधि से सम्बन्धित है।
44. गिरदावरी के खाना नं0 7 में केवल पक्का शब्द लिखा हो या कच्चा शब्द लिखा हो तो उसका तात्पर्य क्रमशः पक्का कुंआ या कच्चा कुंआ है।
45. जब कोई कुंआ या तालाब केवल पानी पीने के ही काम में आता हो तो गिरदावरी में उसके लिये आबनोशी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
46. गिरदावरी के कॉलम सं0 16, 24, 32 ओर 40 रददोबदल के कॉलम कहलाते है।
47. गिरदावरी में ट्यूबवैल (नलकूप) की प्रविष्टी कुंए के रूप में न की जाकर स्पष्टतः ट्यूबवैल (नलकूप) के नाम से ही की जाती है।
48. तालाब के मामले में गिरदावरी में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि तालाब का आयकट 100 एकड़ से कम है या अधिक है।
49. लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 का नियम 79 फसल खराबा से सम्बन्धित है इसे बीजभार भी कहते है। फसल के क्षैत्रफल के बट्टा में (हर या डेनोमीनेटर में) लाल स्याही से खराबे का रकबा लिखा जाता है।
50. लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 86 के तहत गिरदावरी में भूमि के वर्ग का परिवर्तन कृषि से अकृषि योग्य या अकृषि से कृषि योग्य खाना सं0 3 में लाल स्याही से करके उसका भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
51. खसरा गिरदावरी में काश्तकारी या अन्य अधिकारों कब्जा, लगानों, सिंचाई के साधन बगैरह में हुए समस्त परिर्वतन लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 87 (1) के अनुसार पटवारी द्वारा दर्ज किये जाने चाहिए।
52. खसरा परिवर्तनशील या गैर मुश्तकील (अस्थायी) काश्त का खसरा या खसरा नितौड़ प्रपत्र पी-14 को कहते है।
53. लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 91 के तहत सीमाओं और सर्वे चिन्हो की सूची प्रपत्र पी-15 में तैयार की जाती है।
54. जदीद पीवत (ऐसी भूमि जो चाही या सिंचित दर्ज नही है परन्तु कुंओ आदि से सिचित हो जदीद पीवत कहलाती है) की प्रथा कोटा जिले में प्रचलित है।
55. होई बोई की प्रथा श्रीगंगानगर जिले में प्रचलित है जिसके तहत केवल पकी हुई फसलो पर लगान वसूल किया जाता है।

56. लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 104 में ढालबांछ तैयार करने के प्रावधान है जिसमें ग्राम के प्रत्येक काश्तकारों से वसूल की जाने वाली मांग का विवरण दर्ज होता है।
57. ढालबांछ 15 मई तक तैयार करनी अनिवार्य है।
58. ढालबांछ की भू-अभिलेख निरीक्षक को शत्प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करनी अनिवार्य है तहसीलदार नायब तहसीलदार को कम से कम 25 प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करनी अनिवार्य है।
59. लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 109 के तहत सियाहा (रोकड़ बही) रखने के प्रावधान है।
60. सियाहा 1 अप्रेल को खोलकर 30 मार्च को बन्द किया जावेगा।
61. सियाहा ऑफीस कानूनगो के पास अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जमा करा देगा।
62. रसीद की तीसरी परत काश्तकार को दी जाती है। दूसरी परत चालान के साथी टी0आर0ए0 के पास जमा करवायी जाती है।
63. अर्ज इरसाल (चालान) को पी-34 के नाम से जाना जाता है।
64. नामान्तरकरण रजिस्टर का प्रपत्र पी-21 है। जो लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 119 के तहत रखा जाता है। इसमें भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के तहत प्राप्त अन्तरणों की रिपोर्ट दर्ज कर 7 दिवस में भू-अभिलेख निरीक्षक को जांच हेतू प्रस्तुत किया जाता है।
65. नामान्तरण रजिस्टर प्रपत्र पी-21 होता है। नामान्तरण जांच रजिस्टर पी-21क कहलाता है।
66. नामान्तरण रजिस्टर को परिवर्तन खारिज रजिस्टर के नाम से सभी जाना जाता है।
67. नामान्तरण में हुयी लिपिकीय त्रुटी की ठीक करने की शक्तियां तहसीलदार को है।
68. विभाजन के मामले में प्रत्येक खाते में अलग-अलग नामान्तरण शुल्क वसूल किया जाएगा।
69. सरकार के हित में अवाप्त भूमि का कोई नामान्तरण शुल्क वसूल नही किया जाता है।
70. भूमि की अदला बदली में दोनो पक्षों से नामान्तरण शुल्क लिया जाता है।
71. अधिकार अभिलेख में हुयी गलतियों को दुरूस्त करने पर कोई नामान्तरण शुल्क नही लिया जाता है।
72. सरकार के हित में भूमि रहन रखने या रहनमुक्त करने का कोई नामान्तरण शुल्क वसूल नही किया जावेगा।
73. पिता की मृत्यु के उपरान्त पैदा हुए शिशु के नाम इन्द्राज के लिये भी नामान्तरण शुल्क नही लिया जावेगा।
74. लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 147 में पटवारी द्वारा स्वीकृत व अस्वीकृत नामान्तरणों के लिए दो-दो परत के अलग-अलग रजिस्टर रखने के प्रावधान है।
75. 15 जून के पश्चात् पटवारी प्रत्येक ग्राम के लिए स्वीकृत व अस्वीकृत नामान्तरणों की अलग-अलग सूचिया तैयार करने 1 अगस्त तक ऑफीस काननूगो को जमा करवायेगा। इन सूचियों के खाना नं0 1 से 4 के इन्द्राज अपनी दैनिक डायरी में रखेगा।
76. अस्वीकृत नामान्तरण प्रपत्रो व संलग्न सूचियों को जमाबन्दी तैयार होने के पश्चात् जिला अभिलेखागार में जमा करवाया जाता है जहां वो 12 वर्ष पश्चात् नष्ट कर दी जाती है।

77. मिलान खसरा प्रपत्र पी-19 में तैयार किया जाता है।
78. नयी जमाबन्दी चौथे साल के अन्त में बनायी जाती है। 30 सितम्बर तक जमाबन्दी पूर्ण हो जानी चाहिये।
79. प्रत्येक साल पटवार हल्के के एक चौथाई गांवो की जमाबन्दियां तैयार की जाती है।
80. तहसीलदार या नायब तहसीलदार को जमाबन्दी तैयार करने से पहले के 9 महिनो की अवधि में सभी नामान्तरण उस गांव में जाकर तस्दीक करने चाहिए जिसकी जमाबन्दी तैयार करनी हो। सामान्यत: ऐसा जनवरी के मध्य में किया जाता है।
81. जमाबन्दी की परत सरकार सितम्बर के आखरी सप्ताह तक ऑफीस कानूनगो के पास जमा होनी चाहिए।
82. जमाबन्दी तैयार करने की प्रक्रिया लैण्ड रिकार्ड रूल्स 156 में है।
83. रूल्स 157 में जमाबन्दी जमा करवाने की प्रक्रिया है।
84. जमाबन्दी की जांच रूल 158 के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाती है।
85. एसडीओ जमाबन्दी की जांच लैण्ड रिकार्ड रूल्स 159 के तहत करता है।
86. सदर कानूनगो जमाबन्दी की जांच रूल 161 के तहत करेगा।
87. खसरा संख्या का अंकन जमाबन्दी के कॉलम 5 में होता है।
88. भूमि वर्ग का अंकन जमाबन्दी के कॉलम 7 में होता है।
89. सिंचाई के स्त्रोत का अंकन जमाबन्दी के कॉलम 8 में होता है।
90. प्रपत्र पी-27 को फर्द बदर कहते है यह जमाबन्दी में हुयी लिपिकीय भूलो को सुधारने के लिये नियम 166 में भरा जाता है।
91. फर्द बदर के खाना संख्या 5 में भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की जाती है।
92. नियम 167 के तहत प्रत्येक चौथे साल कुंओ का नक्शा तैयार किया जाता है।
93. पटवारी द्वारा रखे जाने वाले रिकार्ड का रजिस्टर पी-37 कहलाता है।
94. गांव के मानचित्र की देखरेख भू.अ.नि. का कर्तव्य है।
95. कृषि शुदा क्षैत्र में लगातार कमी, सिंचाई के स्त्रोत और साधनों में कमी, कुंओ के जलस्तर में कमी, आसामियो द्वारा जोत का परित्याग, महत्वपूर्ण खाद व वाणिज्यिक फसलो के उत्पादन में कमी की रिपोर्ट करना भू.अ.नि. का कर्तव्य है।
96. भू.अ.नि. को एसडीओ की लिखित अनुमति के बिना वसूली के कार्य में नही लगाया जा सकता।
97. भू.अ.नि. की दिनचर्या वही रखने के प्रावधान लैण्ड रेकार्ड नियम 179 में है। यह प्रारूप नियम में रखी जाती है। जिसकी प्रति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक तहसीलदार को पेश की जाती है। तहसीलदार 10 तारीख तक एसडीओ को भेजता है।
98. एसडीओ से प्रारूप नियम या ई-1 के वापस तहसीलदार को लौटाने की निर्धारित समय सीमा माह की 20 तारीख तक है। तहसीलदार 25 तारीख तक भू.अ.नि. को एसडीओ की टिप्पणीयों से सूचित करेगा।

99. प्रारूप ई-2 में भू.अ.नि. मासिक विवरण पत्र व ई-3 में जमाबन्दी के सत्यापन के विस्तृत प्रपत्र हर माह की 5 तारीख तक ई-1 के साथ ही तहसीलदार को पेश कर देगा।

100. एसडीओ ई-2 व ई-3 को अपनी टिप्पणीयों के साथ कलक्टर को भेजता है।

101. भू.अ.नि. प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल को पटवार घरो की मरम्मतों और निर्माण के अनुमान की रिपोर्ट तहसीलदार को पेश करेगा।

102. भू.अ.नि. पटवारियों के प्रपत्रो का एकजाई मांग आदेश (इन्डेन्ट) 15 सितम्बर तक तहसील में प्रस्तुत करेगा पटवारियों को फार्म की सप्लाई तहसील द्वारा की जाएगी।

103. निरीक्षक को गिरदावरी के शत्प्रतिशत खसरो का निरीक्षण करना है परन्तु उसके द्वारा निरक्षित खसरो का केवल 25 प्रतिशत ही डायरी में दर्ज करना चाहिये।

104. निरीक्षक के खसरा गिरदावरी की जांच सम्बन्धी प्रावधान नियम 189 में है।

105. निरीक्षक को मानचित्र में परिवर्तन की जांच 5 अप्रेल तक कर लेनी चाहिये।

106. भू.अ.नि. के नक्शा जिन्सवार की जांच के प्रावधान लैण्ड रेकार्ड नियम 191 में है।

107. भू.अ.नि. के मिलान खसरो (एरिया स्टेटमेन्टस) की जांच के प्रावधान नियम 192 में है ये 31 मई तक ऑफीस कानूनगो को दे दिये जाने चाहिये।

108. निरीक्षक को पिछली जमाबन्दी व नामान्तरण रजिस्टरो से ढांल-बांछो की जांच 15 नवम्बर तक समाप्त कर लेनी चाहिए।

109. निरीक्षक को सियाहा की जांच 15 मार्च तक कर लेनी चाहिए।

110. लैण्ड रेकार्ड नियम 196 के तहत निरीक्षक को प्रत्येक वर्ष पैमाईश यन्त्रो के दो पूरे सेट दिये जाएगे। निरीक्षक 1 मई तक तहसीलदार को पटवारियो के खराब व खोए हुये यन्त्रो की सूची भेजेगा।

111. प्रपत्र ई-5 भाग 2क पटवारियो के कार्य का अभिलेख है।

112. प्रपत्र ई-5 भाग 2ख भू.अ.नि. द्वारा पतुवर्षीय अनुप्रमाणन व साधारण सर्वे कार्य का प्रपत्र है।

113. ऑफीस कानूनगो को आकस्मिक अनिश्चित खर्चे की पूर्ति के लिए 25 रूपये बतौर एडवांस (इम्प्रेस्ट) दिए जाते है।

114. भू-अभिलेख से सम्बन्धित स्थानिय सम्मन आदि की तामिल बंडल लिफ्टर से करवायी जावेगी।

115. बन्डल लिफ्टर रखने का प्रावधान भू-अभिलेख नियम 207 से सम्बन्धित है।

116. ऑफीस कानूनगो के कर्तव्य भू-अभिलेख नियम 210 में दिए गए है।

117. भू.अ.नि. की दिनचर्या बही 31 अक्टूबर तक तहसील में जाच करवायी जाती है। 5 वर्ष बाद नष्ट की जाती है।

118. ढांल-बांछ 2 वर्ष तक तहसील में रखी जाती है। उसके बाद सदर कानूनगो को भेजी जावेगी।

119. रसीद बुक व अर्ज इरसाल 5 वर्ष तक रखी जाती है फिर नष्ट की जावेगी।
120. ग्राम के बस्तो का रजिस्टर व रजिस्टर नजूल स्थायी रूप से रखा जाता है।
121. ओ–5 भू–अभिलेख कर्मचारीगण के छुट्टियो का रजिस्टर होता है।
122. ओ–9 पटवारियों व निरीक्षको के हल्का हालात का प्रपत्र है।
123. ओ–14 सिवाय चक भूमियो का रजिस्टर है।
124. ओ–15 सरकारी भूमि (नजूल) का रजिस्टर है।
125. ओ–16 मुकदमों का रजिस्टर है।
126. ओ–17 रजिस्टर पेशी मुकदमात है।
127. ओ–18 पटवारियों की जमानत का रजिस्टर है।
128. ओ–19 राजस्व अधिकारियो द्वारा निरीक्षक का रजिस्टर है।
129. ओ–20 अभिलेखों के जमा करवाने का रजिस्टर है।
130. ऑफीस कानूनगो 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के मध्य नष्ट करने योग्य या सदर कानूनगो को जमा करवाने योग्य रेकार्ड बाहर निकालेगा।
131. ओ–23 भू–अभिलेख प्रपत्रो का रजिस्टर है।
132. ओ–25 फर्निचरो व पैमाईश के यन्त्रो का स्टॉक रजिस्टर है।
133. मृत्यु भोज, टीका प्रथा (तिलक प्रथा), पर्दा करने की प्रथा पर नोट तैयार करना ऑफीस कानूनगो की जिम्मेदारी है।
134. तहसीलो में वर्षा मापक यन्त्र ऑफीस कानूनगो के अधिकार में रखे जाएगे।
135. वर्षा मापक यन्त्र साईमन पैटर्न के होगे।
136. वर्षा मापक यन्त्रो को तालाबंद रखना आवश्यक है।
137. वर्षा मापक यन्त्रो से नाप सुबह 8:30 बजे ही करना चाहिए।
138. वर्षा मापक यन्त्र की क्षमता 5 ईन्च वर्षा मापने की होती है।
139. वर्षा मापक यन्त्र के रीम का व्यास 5 ईन्च होता है।
140. वर्षा मापक यन्त्र की मासिक रिपोर्ट फार्म ओ–28 में तैयार की जाती है।
141. पटवार ट्रेनिंग स्कूल व ऑल प्रपर्ज रेवन्यू ट्रेनिंग इस्टीटयूट टॉक निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के पर्यवेक्षण में होते है।
142. ढालबांछ पूर्ण हो जाने के तीन वर्ष बाद जिला कार्यालय में जमा करवायी जाती है।
143. स–7 भू अभिलेख के मुद्रित पपत्रों के मांग पत्रों की पंजिका होती है जो सदर कानुनगो रखता है।
144. तहसील की भू अभिलेख शाखा का प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार होता है।
145. गांव का नक्शा गांव के लैण्ड रेकार्ड की पहली सीढी कहलाता है।
146. निरीक्षक को खतौनी जमाबंदी की एक तिहाई प्रविष्ठियों की व्यक्तिगत जांच करना अनिवार्य है।

147. पटवारी द्वारा बंद किये गये अभिलेख प्रतिवर्ष जुलाई माह में ओफीस कानुनगो को जमा करवाये जावेगें।

148. लैण्ड रेकार्ड रूल 411 के अनुसार पटवारियों को सामान्यत कम से कम आधे माह का वेतन पारितोषिक में देना चाहिये।

भाग:-।।।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. एक जुलाई से 30 जून तक की अवधि कृषि वर्ष कहलाती है।
2. डेयरी, मुर्गीपालन, पशुपालन कृषि की परिभाषा में आते है।
3. चरा व प्राकृतिक उपज फसल की परिभाषा में नही आते है।
4. उपखण्ड से तात्पर्य ऐसे भूमि भाग से है जो धारा 53 की उपधारा (1) के प्रयोजनो के लिए न्यूनतम क्षैत्रफल से कम हो।
5. अस्थायी कुएं, नाले, बन्ध, बाडे भूमि सुधार की परिभाषा में नही आते है।
6. मालिक से तात्पर्य काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 उपधारा 26क के अनुसार जमींदार या बिस्वेदार से है जो बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट 1959 की धारा 29 के तहत अपनी खुद काश्त भूमि का स्वामी बन जाता है। काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 17क भी मालिक को परिभाषित करती है।
7. काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(28) में गोचर भूमि को परिभाषित किया गया है।
8. किसी आसामी द्वारा किराये पर ली गयी भूमि जो उसके कब्जे में हो तथा उसकी खुदकाश्त की भूमि अधिवासित भूमि कहलाती है।
9. काश्तकारी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार प्रमाणीकृत को धारा 5(31) के तहत इण्डीयन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पंजीकृत के समकक्ष माना गया है।
10. लगान में सायर सम्मिलित होगा।
11. राजस्व से तात्पर्य भू-राजस्व होगा।
12. काश्तकारी अधिनियम की धारा 34क के अनुसार राजस्व अपील अधिकारी से तात्पर्य भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 20क के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी होगा।
13. किसी अनुज्ञाधारी द्वारा अनाधिवासित भूमि मे से घासफुस लकड़ी, ईधन, फल, लाख, गोन्द, लूंग, सिघाडा, हड्डिया या गोबर या गोबर उठाने के अधिकार या मछली पकडने के अधिकार या

सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी लेने के कारण किया गया भुगतान धारा 5(37) के अनुसार सायर कहलाता है।

14. काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(44) में अतिक्रमी को परिभाषित किया गया है।

15. किसी व्यक्ति द्वारा कुंए के स्वामी को उस कुंए का सिंचाई प्रयोजनार्थ उपभोग करने पर किया गया भुगतान नालबट कहलाता है।

16. आसामियों की चार श्रेणिया है :-

    खातेदार आसामी 2. मालिक 3. खुद काश्त आसामी 4. गैरखातेदार आसामी

17. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार गोचर भूमि, तालाब या नदी तल की भूमि शिक्षण संस्थाओं द्वारा कृषि शिक्षण या खेल के मैदान के लिए धारित भूमि, छावनी रेलवे नहर की सीमाओं में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते।

18. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 31 के अनुसार आसामी उस गांव की आबादी में बिना मूल्य के रहवासी मकान प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जहां वह भूमि धारित करता है।

19. धारा 31 के अनुसार कृषिक कर्मकार या दस्तकार जो गांव की आबादी में 10 वर्ष से अधिक समय से स्थायी रूप से रह रहे हो बिना मूल्य के रहवासी मकान उस गांव की आबादी में प्राप्त करने के अधिकारी है।

20. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 32 के तहत आसामी को पट्टा जारी किया जाता है जो धारा 33 के तहत रजिस्ट्रीकरण के स्थान पर प्रमाणित किया जा सकता है परन्तु ऐसा अभिलेख निष्पादन के 4 माह के भीतर प्रमाणिकरण के लिए पेश हो जाना चाहिए।

21. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 34 आसामी से कोर्ट अधिशुल्क या बेगार लेने पर रोक लगाती है तथा धारा 35 के तहत लगान के अलावा अन्य कोई भुगतान वसुल नही किया जा सकता। धारा 36 के तहत आसामी भूमि के नीचे के पत्थरो व अन्य पदार्थो का जो उसे खुदाई करते समय पाये गये हो का उपभोग कर सकता है परन्तु इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो की पालना करनी होगी।

22. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 37 के तहत किसी भूमि क्षैत्र में आसामी के अधिकार किसी सिविल न्यायालय की प्रक्रिया में जब्त, कुर्क अथवा विकृत नही किये जा सकेगे।

23. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 38 के तहत काश्तकारो के हित दाय योग्य है अन्तरण योग्य नही है।

24. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के अनुसार काश्तकार अपने हित की वसीयत कर सकता हे तथा बिना वसीयत किये मृत्यु होने पर धारा 40 के अनुसार उतराधिकार के प्रावधान लागु होगे।

25. धारा 41 के अनुसार खातेदारी अधिकारो का अन्तरण किया जा सकता है।

26. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यो को विक्रय, भेंट या वसीयत द्वारा हस्तान्तरण नही कर सकते ।

27. धारा 42 के अुनसार सहरिया जनजाति का व्यक्ति केवल सहरिया जनजाति के व्यक्ति को ही भूमि का अन्तरण कर सकता है।

28. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार गैरखातेदार आसामी अपने हिस्से की भूमि को तहसीलदार की लिखित अनुमति के ऋण प्राप्त करने के लिये रहन रख सकता है। खातेदार आसामी अपने हिस्से की भूमि को 5 वर्ष के लिये भोग बन्धक रख सकता है।

29. धारा 43(4ड़) के अनुसार कोई बन्धकदार जो बिना समुचित कारण बताए बन्धक मोचन हो जाने पर तीन माह की अवधि में धारा 43(4घ) में बन्धक मोचन हो जाने पर 3 माह की अवधि में कब्जा संभलवाना अनिवार्य है कब्जा संभलवाने में असफल रहता है तो 1 वर्ष तक कारावास या 1000 रूपये तक जुर्माने से या दोनो दण्डित किया जा सकता है।

30. धारा 43 (4ड़) के तहत सज्ञेय अपराध, जमानती एवं बन्धककर्ता द्वारा क्षमा किए पर क्षमनीय होगा।

31. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 44 भू-स्वामी को भूमि काश्त पर देने व काश्तकार को शिकमी काश्त पर देने के अधिकार प्रदान करती है।

32. धारा 45 के अनुसार खातेदार अधिकतम 5 वर्ष के लिए व गैरखातेदार एक वर्ष के लिये शिकमी काश्त पर भूमि दे सकता है। एक बार शिकमी पट्टा कर दिये जाने पर शिकमी पट्टे की समाप्ति के दो वर्ष के अन्दर कोर्ट शिकमी पट्टा नही किया जा सकता।

33. धारा 46 के अनुसार उपरोक्त धारा 45 के प्रतिबन्ध अवयस्क, पागल, मुर्ख, अविवाहित स्त्री, तलाकशुदा स्त्री, विधवा, नेत्रहीन, विकलांग, सैनिक, बन्दी, 25 वर्ष से कम आयु के विधार्थी पर लागु नही है।

34. धारा 46क के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यो को ही भूमि काश्त/शिकमी काश्त पर दे सकते है।

35. धारा 47 के अनुसार शिकमी पट्टे की शर्तो से आसामी का उतराधिकारी भी पाबन्द रहेगा।

36. धारा 48 के तहत एक वर्ग के आसामी आपस में अपनी भूमियों का विनिमय करवा सकेगे।

37. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 में चकबन्दी के लिए विनिमय हेतु सहायक कलक्टर को आवेदन करने के प्रावधान है।

38. धारा 49क के प्रावधानो के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति से ही विनिमय कर सकते है।

39. अधिकार अभिलेख में विनिमय की प्रविष्टी धारा 52 के प्रावधानो के अनुसार की जाती है।

40. साक्षीदार आसामी अपने खाते का विभाजन काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो के अनुसार करवा सकते है।

41. काश्तकार 1 मई से 30 दिन पूर्व का रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को देकर अपने भूमि क्षैत्र का समपर्ण कर सकता है। समपर्ण के प्रावधान धारा 55 में है परन्तु नोटिस धारा 56 के तहत दिया जाता है।

42. लगान बढाने पर काश्तकार धारा 57 के तहत लगान बढाने के 30 दिन के भीतर समपर्ण का नोटिस दे सकता है।

43. यदि कोई काश्तकार अधिनियम की धारा 60 के अनुसार अपने काश्तकारी अधिकारों का परित्याग कर जाता है तो तहसीलदार धारा 61 के तहत एक घोषणा जारी करेगा जिसकी तामिली या प्रकाशन के 60 दिन के भीतर काश्तकार उपस्थित नही होता है या आपति नही करता है तो भूमि राज कब्जे में ली जा सकेगी।

44. धारा 60 (1) में जारी उद्घोषणा की तामिल/प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर काश्तकार अपनी भूमि की बहाली के लिए आवेदन कर सकता है। परित्याग की गई जमीन की बहाली के लिए धारा 62(1) के प्रावधानो के तहत की जाती है जिसमें अनावृष्टि, अकाल, महामारी या अन्य किसी युक्तियुक्त कारण से कृषि करना बन्द किया गया हो।

45. यदि काश्तकार बिना उतराधिकारी छोडे मर जावे या भूमि का समयण, परित्याग कर देने या उसकी भूमि अवाप्त कर ली जावे या बेच देवे, दान कर देवे, बिना कानूनी अधिकार के विदेश चला जावे, आंवटन रद्द कर दिया जावे तो धारा 63 काश्तकारी अधिनियम के तहत उसके काश्तकारी अधिकारो का अवसान हो जाता है।

46. काश्तकारी अधिनियम की धारा 65 भूमि सुधार करने के राज्य सरकार के अधिकार से सम्बन्धित है धारा 66 खातेदार आसामियों द्वारा सुधार करने से सम्बन्धित है।

47. धारा 67 के अनुसार भूमिधारी तहसीलदार की अनुमति से सुधार कर सकता है। कुंए के लिए अनुमति की आवश्यकता नही होती तथा कुल जोत के 1/50 भाग से अधिक में सुधार नही किया जा सकता है।

48. तहसीलदार काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 68 के अनुसार बहुत महंगे या अपरिभाषित सुधारो की अनुमति नही दी जावेगी।

49. धारा 69 के तहत आसामी को सुधार करवाने के लिए एक वर्ष तक समय दिया जा सकता है।

50. धारा 71 काश्तकारी अधिनियम सुधार करने पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित है तथा धारा 72 के तहत काश्तकार सुधार करने पर सम्पूर्ण भूमि क्षैत्र का लगान भरने के लिये उतरदायी रहेगा।

51. सुधार सम्बन्धि विवादों का निर्णय काश्तकारी अधिनियम की धारा 78 के तहत सहायक कलक्टर द्वारा किया जाता है।

52. काश्तकारी अधिनियम की धारा 79 के अनुसार आसामी को वृक्ष लगाने का अधिकार है परन्तु अन्य किसी आसामी के हित को इससे क्षति पहुंचती हो तो वो तहसीलदार को धारा 79(2) के तहत आवेदन करने आसामी को वृक्ष लगाने से रोका जा सकता है।

53. धारा 79क के तहत4 आसामी अपनी भूमि से लगती हुयी सरकारी भूमि जो सड़क के पास की हो मे भी वृक्ष लगा सकता है परन्तु ऐसे वृक्ष राज्य सरकार की सम्पति होगें।

54. गैरखातेदार आसामी को वृक्ष काटने की स्वीकृति तहसीलदार काश्तकारी अधिनियम की धारा 84(3) के तहत देता है।

55. खातेदार आसामी को धारा 84(5) के तहत वृक्ष काटने की स्वीकृति तहसीलदार देता है।

56. बगैर अनुमति के वृक्ष काटने पर काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 के तहत प्रत्येक वृक्ष के लिये 100 रूपये तक जुर्माना सहायक कलक्टर करता है तथा दुबारा उल्लघंन होने पर जुर्माना 200 रूपये तक किया जा सकता है तथा वृक्ष की लकडी राज्यहित में जब्त कर नीलाम की जाती है।

57. (विशेष महत्वपूर्ण) जब किसी काश्तकार के रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार को बाधित किया जाता है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत तहसीलदार को रास्ता खुलवाने या सुखाचार पुन: स्थापित करने के लिये आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के आवेदन पहले ग्राम पंचायत को पेश किये जाते है यदि ग्राम पंचायत इन पर 45 दिन में निर्णय नही करती है तो इनमे पंचायत का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है तथा इन्हे सम्बन्धित तहसीलदार को पंचायत द्वारा अग्रेषित किया जाता है।